

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... R. 879-तीन/08... जिला लखन...

1

शर्क लिख / नोट लिख

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>4.10.16</p> <p>(91)</p>	<p>1- आवेदक तथा उनके अभिभाषक लखन उपरान्त लगाए गए पेशियों से उपाधीत नहीं हो रहे हैं।</p> <p>2- अनवेदक तथा उनके अभिभाषक लखन उपरान्त लगाए गए पेशियों से उपाधीत नहीं हो रहे हैं।</p> <p>3- अर्थात् मांग का रिफार्स शर्त नहीं प्राप्त हो चुका है, जो इस प्रकार के काम लाना है।</p> <p>4- मालीय सदस्य महो का शीवा आगमन नहीं हो सका।</p> <p>5- वास्ते अंतिम तर्क पेशी तारीख 26.12.16</p> <p style="text-align: right;">आज्ञा से रीडर</p>	
<p>26.12.16</p> <p>(122)</p>	<p>1. आवेदक अभिभाषक श्री... अद्यपरित.../.../.../...</p> <p>2. अना० अभिभाषक श्री... अद्यपरित.../.../.../...</p> <p>3. मान सदस्य महो० का आज शीवा आगमन नहीं हो सका।</p> <p>4. वास्ते अंतिम तर्क पेशी तारीख.... 1.2.17</p> <p style="text-align: right;">आज्ञा से रीडर</p>	
<p>18.1.17</p> <p>M</p>	<p>आवेदक आदिमापक अनुवृत्ति / अन्वय के अन्तर्गत के लक्षणों से वर्गीकृत आवेदक नहीं हो रहे हैं। यह प्रकरण वर्ष 2008 के लंबित है। ऐसा पता चलता है कि पक्षकारों को प्रकरण के बचालन में रुकी नहीं है। अतः प्रकरण अंतर्गत के संश्लेष किया जाता है। प्रकरण के बचालन किया है।</p> <p style="text-align: right;">आज्ञा से रीडर</p>	